भारत दस रुपये TEN RUPEES कोर्ट फी COURT FEE 10 रु.

182

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी, अशोकनगर नि -2100-II-16

श्री आर.पी.सिंह द्वारा आज दि. 29-6-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 29-6-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राम सिंह पुत्र संयम सिंह निवासी ग्राम कुटवारा तहसील बदरवास जिला शिवपुरी म.प्र.

.........आवेदक

बनाम

अशोक पुत्र प्रताप सिंह , निवासी ग्राम सिरनौदा तहसील ईसागढ जिला अशोक नगर म.प्र.

.... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता राजस्व निरीक्षक वृत्त 2 ईसागढ तहसील ईसागढ जिला अशोक नगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 22 अ– 12 / 15–16 सीमाकंन प्रकरण में पंचनामा दिनांक 20.6.2016 रसीद दिनांक 20.06.2016 पटवारी प्रतिवेदन निरंक सूचना पत्र 08.06.2016 के विरूद्ध निगरानी समयावधि में प्रस्तुत है।

कृष्ण कुमार सिंघल शपथ आयुक्त

महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अनावेदक अशोक पुत्र प्रताप सिंह द्वारा ग्राम इंदौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1969 रकवा 0.502 एवं सर्वे क्रमांक 1970 रकवा 0.878 का सीमाकंन कराने हेतु, राजस्व निरीक्षक वृत्त 2 तहसील ईसागढ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया ।

2. यहकि, आवेदक की भूमि सर्वे क्रमांक 1971 एवं 1973 उक्त विवादित रकवे से लगी हुई है । आवेदक को कोई सूचना पत्र जारी नही किया गया और ना ही सुनवाई का कोई अवसर प्रदान

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी 2100–दो/2016 जिला–अशोकनगर

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा एकों आदि के हस्ताक्षर
25.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 ईसागढ जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 22/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 16.06.16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29/4/19 **अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर**	